संख्या- 5634 /नौ-4-92-9 एल0बी0/87

श्री पी0एल0पुनिया,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 1992

विषय:- निदेशक, स्थानीय निकाय, को अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1960/11-4-87-9 एलबी/87 दिनांक 1 जून, 1982 द्वारा उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कतिपय अधिकारियों / कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिकार प्रतिनिहित किए गए थे । वेतनमानों में पुनरीक्षण हो जाने के कारण राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 के नियम 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के प्रशासी, लेखा , नगर लेखा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा राजस्व तथा अभियन्त्रण सेवा के उन सभी पदों के अधिकारियों जिनका वेतनमान 8000-2200-4000 तक है, के संबंध में निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्यों का प्रतिनिधायन करने का आदेश देते हैं :-

1- स्थानान्तरण
2- चरित्र पंजियों का रख रखाव
3- प्रतिकूल प्रविष्टियां संसूचित करना तथा उनके विरुद्ध प्रत्यावेदनों पर निर्णय
4- दक्षता रोक पार कराने पर निर्णय
5- छुट्टी की स्वीकृति

2- राज्यपाल महोदय उपरोक्त संवर्ग के अधिकारियों को लघु दण्ड देने अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार भी निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रतिनिधायित किए जाने का आदेश देते हैं। विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही करने के निमित्त शासन के आदेशों की आवश्यकता न होगी । उपरोक्त वेतनमान की परिधि में आने वाले अधिकारियों के सेवी अभिलेख पूर्व की भांति निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा रखे जायेंगे ।

भवदीय,

(पी0एल0पुनिया)
सचिव ।

संख्या- 5634 ॥1॥/नौ-4-92-तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- समस्त आयुक्त उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मुख्य नगर अधिकारी नगर महापालिकायें ।
5- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त अपर आयुक्त॥प्रशासन॥/अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ।
7- नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
8- आवास अनुभाग-5

आज्ञा से,

॥जय प्रकाश॥
संयुक्त सचिव ।